उत्तराखंड उच्च न्यायालय

स्वामी रूपेंद्र प्रकाश शिष्य... बनाम विजय कुमार मलिक कथित... 25 जनवरी, 2021 को निर्णय सुरक्षित रखा

उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में ए.टी
नैनीताल

2017 की रिट याचिका (एम/एस) संख्या 3101

स्वामी रूपेंद्र प्रकाश शिष्य स्वामी हंसप्रकाश
निवासी प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम, ज्वालापुर, तहसील और जिला हरिद्वार
.....याचिकाकर्ता
बनाम

1. विजय कुमार मलिक ने महामन्त्री श्री पर आरोप लगाया अवधूत मंडल आश्रम, प्राचीन ब्रह्म दास ट्रस्ट, हरिद्वार
2. सुरेंद्र कुमार शर्मा पुत्र स्वर्गीय बूल चंद, निवासी 378/1, पटेल नगर, नई मंडी, मुजफ्फरनगर (यूपी)
3. गुलशन नारंग पुत्र श्री हीरा लाल नारंग निवासी 1077/1, ग्रीन रोड, शांति नगर, रोहतक (हरयाणा)
4. सुशील कुमार मलिक पुत्र श्री जेडी मलिक, निवासी 33/5, शक्ति नगर एक्सटेंशन, दिल्ली-7 (तब से)। मृतक)
5. स्वामी रामदेव श्री हरिदेव जी के शिष्य महाराज, निवासी पंच तीरथिये आश्रम, थाना भवन, जनपद शामली।

....प्रतिवादी

उपस्थित:

श्री निखिल सिंघल , याचिकाकर्ता के वकील
श्री आदित्य सिंह , प्रतिवादियों के वकील

निर्णय

माननीय लोक पाल सिंह, जे.

यह रिट याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-

(i) मूल वाद संख्या108 ऑफ़ 2013 'स्वामी रूपेंद्र प्रकाश बनाम सुरेंद्र कुमार एवं अन्य'।

में विद्वान द्वितीय अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) हरिद्वार द्वारा पारित दिनांक 26.10.2017 (इस रिट याचिका के लिए अनुलग्नक संख्या 1) के आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरी प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करने।

(ii) कोई अन्य राहत जारी करने जिसे माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझे, याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया जाने की प्रार्थना की है।

2. मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स यह है कि वादी/याचिकाकर्ता ने स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री के लिए सिविल जज (सीनियर डिवीजन), हरिद्वार की अदालत में 2013 के स्वामी रूपेंद्र प्रकाश बनाम सुरेंद्र कुमार और अन्य के वाद संख्या 108 के तहत एक मुकदमा दायर किया। जिसमें कहा गया है कि स्वामी हंसप्रकाश जी अपने जीवनकाल के दौरान मुकदमे में शामिल संपत्ति के महंत, प्रबंधक और मालिक थे। वादी स्वामी हंसप्रकाश जी महाराज का चेला था जो स्वामी हंसप्रकाश जी के जीवनकाल में उनके साथ ही संपत्ति में रहता था। स्वामी हंसप्रकाश जी महाराज ने वादी के प्रेम, स्नेह और देखभाल से, मुकदमे में शामिल संपत्ति के साथ-साथ कुछ अन्य संपत्ति के संबंध में वादी/याचिकाकर्ता के पक्ष में दिनांक 17.12.2012 को एक वसीयत निष्पादित की थी। स्वामी हंसप्रकाश जी महाराज की मृत्यु 05.01.2013 को हुई और याचिकाकर्ता शिष्य था और स्वामी हंसप्रकाश द्वारा दिनांक 17.12.2012 की वसीयत के आधार पर याचिकाकर्ता/वादी के पक्ष में निष्पादित होने के कारण महंत और प्रश्नगत संपत्ति का मालिक बन गया, जो आश्रम के दैनिक मामलों का प्रबंधन भी कर रहा है। आगे कहा गया कि प्रतिवादियों के पास है मुकदमे में शामिल संपत्ति से कोई सरोकार नहीं है, हालांकि, प्रतिवादी वादी के कब्जे और शांतिपूर्ण प्रबंधन में लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं। प्रतिवादियों ने मुकदमा लड़ा और अपना लिखित बयान दाखिल किया।

3. मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी नंबर 1 विजय कुमार मलिक ने खुद को इस आधार पर मुकदमे में पक्षकार बनाने के लिए सीपीसी की धारा 151 के साथ पठित आदेश 1 नियम 10 के तहत एक आवेदन दायर किया कि स्वामी श्री अवधूत मंडल आश्रम प्राचीन ब्रहम दास ट्रस्ट, हरिद्वार, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक पंजीकृत सोसायटी है , 1860, वाद संपत्ति का मालिक है। स्वामी हंसप्रकाश उक्त सोसायटी

के अध्यक्ष एवं सुशील कुमार मलिक सचिव थे। दिनांक 22.12.2014 को सुशील कुमार मलिक की मृत्यु के पश्चात दिनांक 11.02.2015 को आयोजित बैठक में आवेदक/प्रतिवादी क्रमांक 1 को उक्त सचिव के पद पर विधिवत निर्वाचित किया गया है। वादी/याचिकाकर्ता ने पक्षकार आवेदन पर यह कहते हुए आपत्तियां दर्ज कीं कि कथित सोसायटी का प्रश्नाधीन संपत्ति से कोई संबंध नहीं है और न ही मुकदमे में शामिल संपत्ति कभी भी कथित सोसायटी में निहित की गई है, न ही उक्त सोसायटी मुकदमे की संपत्ति की मालिक है। आगे कहा गया कि वर्तमान वाद मुकदमे में शामिल संपत्ति में वादी के शांतिपूर्ण कब्जे और प्रबंधन में हस्तक्षेप करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ दायर निषेधाज्ञा के लिए है, मुकदमे का वादी डोमिनस लिटस है। वादी के अलावा, प्रतिवादी नंबर 2 और 4 ने भी पक्षकार आवेदन पर अपनी आपत्तियां दर्ज कीं और कहा कि आवेदन कायम रखने योग्य नहीं है। यह भी कहा गया कि उक्त सोसायटी न तो पंजीकृत सोसायटी और न ही आवेदक कभी उसका सदस्य रहा।

4. ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 26.10.2017 के तहत, रू0 200/- की लागत के साथ आवेदन पत्र संख्या 128 का को गुप्त और यांत्रिक तरीके से अनुमति दी हैए जिसमें कहा गया है कि सभी पीड़ित पक्षों को पक्षकार बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। और मुकदमें में जहां तक गुण-दोष का सवाल है, उसका निस्तारण संम्बन्धित मुकदमे में साक्ष्य के बाद किया जाएगा।

5. मैंने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है।

6. याचिकाकर्ता/वादी के विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि याचिकाकर्ता/वादी डोमिनस लिटिस है और उसे किसी अजनबी को मुकदमे में पक्षकार बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह तर्क दिया गया है कि न तो प्रतिवादी नंबर 1 मुकदमे के लिए एक आवश्यक और न ही उचित पक्ष है और ट्रायल कोर्ट के पास वादी को प्रतिवादी नंबर 1 को मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का निर्देश देने का कोई अवसर नहीं था।

7. इसके विपरीत, प्रतिवादी के विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि ट्रायल कोर्ट ने सही ढंग से पक्षकार आवेदन की अनुमति दी है। वह प्रस्तुत करेंगे कि प्रतिवादी नंबर 1, स्वामी श्री अवधूत मंडल आश्रम प्राचीन ब्रह्म दास ट्रस्ट, हरिद्वार, एक पंजीकृत सोसायटी का सचिव होने के नाते, मुकदमे के लिए एक आवश्यक और संपत्ति है।

8. पार्टियों को पक्षकार बनाने के संबंध में सामान्य नियम यह है कि याचिकाकर्ता/वादी को, डोमिनस लिटिस होने के नाते, उस व्यक्ति को चुनने का अधिकार है जिसके खिलाफ वह मुकदमा करना चाहता है और उसे ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिसके खिलाफ वह कोई मुकदमा या राहत नहीं चाहता है। कानून के इस प्रस्ताव को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बालूराम बनाम के मामले में निम्नलिखित पैराग्राफ में देखा है।

पी चेल्लाथंगम और अन्य (2015) 13 एससीसी 579 "13 व मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (2010) 7 एससीसी 417 में इस न्यायालय ने देखा:

13. पार्टियों को पक्षकार बनाने के संबंध में सामान्य नियम यह है कि मुकदमे में वादी, डोमिनस लिटिस होने के नाते, उन व्यक्तियों को चुन सकता है जिनके खिलाफ वह मुकदमा करना चाहता है और उसे ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जिसके खिलाफ वह कोई राहत नहीं चाहता है। परिणामस्वरूप, जो व्यक्ति पक्षकार नहीं है, उसे वादी की इच्छा के विरुद्ध पक्षकार बनाये जाने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यह सामान्य नियम सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') के आदेश 1 नियम 10 (2) के प्रावधानों के अधीन है, जो उचित या आवश्यक पक्षों को शामिल करने का प्रावधान करता है। उक्त उप-नियम नीचे दिया गया है:

'10.(2) न्यायालय पार्टियों को हटा सकता है या जोड़ सकता है। - न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में, किसी भी पक्ष के आवेदन पर या उसके बिना, और ऐसी शर्तों पर जो न्यायालय को उचित लगें, आदेश दे सकता है अनुचित तरीके से शामिल हुए किसी भी पक्ष का नाम, चाहे वादी या प्रतिवादी के रूप में, काट दिया जाए, और किसी भी व्यक्ति का नाम, जिसे शामिल होना चाहिए था, चाहे वह वादी या प्रतिवादी के रूप में, या जिसकी अदालत के समक्ष उपस्थिति आवश्यक हो। न्यायालय को प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से मुकदमे में शामिल सभी प्रश्नों पर निर्णय लेने और निपटाने में सक्षम बनाने के लिए इसे जोड़ा जाना चाहिए।'

14. उक्त प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि एक अदालत, कार्यवाही के किसी भी चरण में (विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमों सहित), बिना किसी आवेदन के, और ऐसी शर्तों पर जो उसे उचित प्रतीत हो, यह निर्देश दे सकती है कि निम्नलिखित में से किसी भी व्यक्ति को भाग के रूप में जोड़ा जा सकता है: (ए) कोई भी व्यक्ति जिसे वादी या प्रतिवादी के रूप में शामिल होना चाहिए था, लेकिन नहीं जोड़ा गया; या (बी) कोई भी व्यक्ति जिसकी अदालत के समक्ष उपस्थिति अदालत को प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से मुकदमे में शामिल प्रश्नों पर निर्णय लेने और निपटाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकती है। संक्षेप में, न्यायालय को किसी भी ऐसे व्यक्ति को एक पक्ष के रूप में जोड़ने का विवेक दिया गया है जो एक आवश्यक पक्ष या संपत्ति पक्ष पाया जाता है।

15. 'आवश्यक पक्ष' वह व्यक्ति है जिसे एक पक्ष के रूप में शामिल होना चाहिए था और जिसकी अनुपस्थिति में न्यायालय द्वारा कोई प्रभावी डिक्री पारित नहीं की जा सकती थी। यदि किसी 'आवश्यक पक्ष' को पक्षकार नहीं बनाया गया है, तो मुकदमा स्वयं ही खारिज कर दिया जा सकता है। 'उचित पक्ष' वह पक्ष है जो आवश्यक पक्ष न होते हुए भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी उपस्थिति न्यायालय को मुकदमे में विवाद के सभी मामलों पर पूरी तरह, प्रभावी ढंग से और पर्याप्त रूप से निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, हालांकि उसे पक्ष में व्यक्ति होने की आवश्यकता नहीं है का या जिसके विरुद्ध डिक्री की जानी है। यदि कोई व्यक्ति उचित या आवश्यक पक्षकार नहीं पाया जाता है, तो अदालत के पास वादी की इच्छा के विरुद्ध, उसे पक्षकार बनाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

9. कनकलता दास एवं अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय। बनाम नबा कुमार दास एवं अन्य। (2018) 2 एससीसी 352, निम्नानुसार आयोजित किया गया है: -

"11. इस अपील में शामिल प्रश्न पर कानून के कुछ सुस्थापित सिद्धांत हैं, जिन्हें इस अपील में उठे प्रश्न पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। इन सिद्धांतों का उल्लेख बुनियादी तौर पर किया गया है:

11.1. सबसे पहले, राज्य किराया अधिनियम के तहत प्रतिवादी (किरायेदार) के खिलाफ वादी (मकान मालिक) द्वारा दायर बेदखली मुकदमे में, मकान मालिक और किरायेदार ही एकमात्र आवश्यक पक्ष हैं। दूसरे शब्दों में, किरायेदारी मुकदमे में, मुकदमे के निर्णय के लिए केवल दो व्यक्ति आवश्यक पक्ष होते हैं, अर्थात्, मकान मालिक और किरायेदार।

11.2. दूसरा, इस तरह के मुकदमे में मकान मालिक (वादी) को केवल दो चीजों की वकालत करने और साबित करने की आवश्यकता होती है ताकि वह अपने किरायेदार के खिलाफ किराए के मुकदमे के परिसर से बेदखली के लिए डिक्री का दावा करने में सक्षम हो सके। पहला, वादी और प्रतिवादी के बीच मकान मालिक और किरायेदार का रिश्ता मौजूद है और दूसरा, वह आधार मौजूद है जिस पर वादी मकान मालिक ने किराया अधिनियम के तहत प्रतिवादी किरायेदार की बेदखली की मांग की है । जब ये दो बातें साबित हो जाती हैं, तो बेदखली का मुकदमा सफल हो जाता है।

11.3. तीसरा, बेदखली मुकदमे के निर्णय के लिए वाद परिसर के स्वामित्व का प्रश्न उपयुक्त नहीं है। इसका कारण यह है कि, यदि मकान मालिक मुकदमे के परिसर पर अपना स्वामित्व साबित करने में विफल रहता है, लेकिन मुकदमे के परिसर के संबंध में मकान मालिक और किरायेदार के रिश्ते के अस्तित्व को साबित करता है और आगे किसी भी आधार के अस्तित्व को साबित करता है जिस पर किरायेदारी अधिनियम के तहत बेदखली की मांग की जाती है , बेदखली का मुकदमा सफल हो जाता है। इसके विपरीत, यदि मकान मालिक वाद परिसर पर अपना स्वामित्व साबित करता है लेकिन वाद परिसर के संबंध में मकान मालिक और किरायेदार के रिश्ते के अस्तित्व को साबित करने में विफल रहता है, तो बेदखली का मुकदमा विफल हो जाता है। (देखें रणबीर सिंह बनाम अशर्फी लाल (1995) 6 एससीसी 580)।

11.4. चौथा, वादी को डोमिनस लिटिस होने के कारण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी तीसरे व्यक्ति, चाहे वह वादी हो या प्रतिवादी, को मुकदमे में पक्षकार बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जब तक कि ऐसा व्यक्ति यह साबित करने में सक्षम न हो कि वह मुकदमे में एक आवश्यक पक्ष है और उसकी उपस्थिति के बिना, मुकदमा आगे नहीं बढ़ सकता और न ही प्रभावी ढंग से निर्णय लिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, कोई भी व्यक्ति वादी को ऐसे व्यक्ति को मुकदमे में सह-वादी या प्रतिवादी बनने की अनुमति देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। यह और भी अधिक है जब ऐसा व्यक्ति यह दिखाने में असमर्थ है कि वह मुकदमे में एक आवश्यक या उचित पक्ष कैसे है और उसकी उपस्थिति के बिना, मुकदमा न तो आगे बढ़ सकता है और न ही इसका निर्णय लिया जा सकता है या प्रभावी के लिए उसकी उपस्थिति कैसे आवश्यक है मुकदमे का निर्णय। (रूमा चक्रवर्ती बनाम सुधा रानी बनर्जी देखें (2005) 8 एससीसी 140)। 11.5. पांचवां, एक आवश्यक पक्ष वह है जिसके बिना कोई भी आदेश प्रभावी ढंग से नहीं किया जा सकता है, एक उचित पक्ष वह है जिसकी अनुपस्थिति में एक प्रभावी आदेश दिया जा

सकता है लेकिन कार्यवाही में शामिल प्रश्न पर पूर्ण और अंतिम निर्णय के लिए जिसकी उपस्थिति आवश्यक है। (उदित नारायण सिंह मालपहारिया बनाम राजस्व बोर्ड, एआईआर 1963 एससी देखें

786).

11.6. छठा, यदि वाद परिसर के सह-मालिक या सह-मकान मालिक हैं तो कोई भी सह-मालिक या सह-मकान मालिक किरायेदार के खिलाफ बेदखली का मुकदमा दायर कर सकता है। दूसरे शब्दों में, यह आवश्यक नहीं है कि सभी मालिक/मकान मालिक किरायेदार के खिलाफ बेदखली का मुकदमा दायर करने में शामिल हों। (कस्तूरी राधाकृष्णन बनाम एम. चिन्नियान (2016) 3 एससीसी 296 देखें)।

10. एआईआर 2019 (एससी) 3577 में रिपोर्ट किए गए गुरमित सिंह भाटिया बनाम किरण कांत रॉबिन्सन और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि, किसी मुकदमे में, वादी को किसी विशिष्ट व्यक्ति को मुकदमे में फंसाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। प्रदर्शन, उसकी इच्छा के विरुद्ध और विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिसके विरुद्ध वादी द्वारा किसी राहत का दावा नहीं किया गया है।

11. अब वर्तमान मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ता/वादी ने स्थायी निषेधाज्ञा के लिए तत्काल मुकदमा दायर किया है; उसमें घोषणा के लिए कोई राहत नहीं मांगी गई है। चूंकि यह निषेधाज्ञा के लिए एक सरल वाद है और प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ कोई राहत नहीं मांगी गई है, इसलिए उसे एक पक्ष के रूप में जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। इसके अलावा, प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं लाया गया है कि वह मुकदमे के लिए एक आवश्यक या उचित पक्ष है, और जिसकी अनुपस्थिति में न्यायालय द्वारा कोई प्रभावी डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। वादी के अलावा, प्रतिवादी संख्या 2 और 4 ने भी पक्षकार आवेदन पर आपत्तियां दर्ज की हैं, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि आवेदक/प्रतिवादी संख्या 1 कभी भी उक्त सोसायटी का सदस्य नहीं था। इस न्यायालय की राय में, प्रतिवादी संख्या 1 न तो आवश्यक है और न ही उचित पक्ष है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों की श्रृंखला में यह माना गया है, जिनमें से कुछ को मेरे द्वारा पूर्ववर्ती पैराग्राफों में भी विज्ञापित किया गया है, कि वादी को डोमिनस लिटस होने के नाते, अपने विरोधियों को चुनने का अधिकार है; उसे किसी तीसरे व्यक्ति को मुकदमे में पक्षकार बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता; कोई भी व्यक्ति वादी को ऐसे व्यक्ति को सह पक्षकार-बनने की अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता अपने विरोधियों को चुनने का अधिकार है; उसे किसी तीसरे व्यक्ति को मुकदमे में पक्षकार बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता; मुकदमे में वादी या प्रतिवादी, खासकर ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिसके खिलाफ कोई राहत नहीं मांगी गई है।

12. उपरोक्त के आलोक में, इस न्यायालय का मानना है कि ट्रायल कोर्ट ने सीपीसी की धारा 151 के साथ पठित आदेश 1 नियम 10 के तहत प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दिए गए आवेदन को अनुमति देने में कानूनी त्रुटि की है। ट्रायल कोर्ट ने, बिना इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि आवेदक मुकदमे में उचित और आवश्यक पक्ष है या नहीं,

बहुत ही गूढ़ और यांत्रिक तरीके से आवेदन की अनुमति दी गई है। ट्रायल कोर्ट द्वारा एकमात्र कारण यह बताया गया है कि केवल मुकदमेबाजी की बहुलता से बचने के लिए, आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए; ट्रायल कोर्ट द्वारा कोई ठोस कारण दर्ज नहीं किया गया है।

13. ऊपर दर्ज कारणों से, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। दिनांक 24.10.2017 का आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है।

14. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(लोकपाल सिंह, जे.) 25.01.2021 रजनी